न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 46 / 2019

अनवान : –

1. कमला पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– सायला

बनाम्

1. मुखराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसी नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायलान**

निर्णय दिनांकः 11/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के साबिका ख0न0 120 की 60 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 52 की 12 बीघा, ख0न0 97 मीन की 93 बीघा कुल 165 बीघा 3 बिस्वा भूमि सायला के दादा ख्यालीराम पुत्र खुमाणाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी।

रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के साबिका ख0न0 97 की 93 बीघा हाल ख0न0 195 की 94 बीघा 1 बिस्वा भूमि में एवं साबिका ख0न0 120 की 60 बीघा 3 बिस्वा हाल ख0न0 317 की 61 बीघा व साबिका ख0न0 52 की 16 बीघा 8 बिस्वा हाल ख0न0 300 की 16 बीघा 8 बिस्वा भूमि मे परिवर्तित व पैमुद हो चुकी है। सायल के दादा ख्यालीराम के देहान्त के बाद रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 90 / 100 के ख0न0 195 / 5 की 6.2470 हैक्ट, ख0न0 317 / 1 की 5.1470 हैक्ट कुल 11.3940 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। गैरसायल स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के उक्त भूमि दर्ज हुई है जिसमें सायला व गैरसायल स0 2 का जन्म से हक हिस्सा है। वाद भूमि गैरसायल स0 1 अकेले के नाम दर्ज होने से गैरसायल स0 1 उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहता है यदि गैरसायल स0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी इसलिए गैरसायल स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक उक्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 90 / 100 के ख0न0 195 / 5 की 6.2470 हैक्ट, ख0न0 317 / 1 की 5.1470 हैक्ट कुल 11.3940 हैक्ट कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी स0 1 इस

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 2 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1 ता 2 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:—

1. प्रथम दृष्टया मामला :— प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थी के के नाम दर्ज रही है और उनकी फौतदगी के बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>— सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:29 IST
Reason: SelfAttested

3. <u>अपूर्णीय क्षति</u>— अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य ऐसी वास्तविक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 90/100 के ख0न0 195/5 की 6.2470 हैक्ट, ख0न0 317/1 की 5.1470 हैक्ट कुल 11.3940 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पंत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 11/03/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:29 IST
Reason: SelfAttested